Annexure - II

सूचना के जनअधिकार, 2005 के संदर्भ में मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.06. 2005 को आयोजित बैठका का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति

1. वन्य एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तरांचल शासन।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति एवं सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. प्रमुख सचिव, चोल एवं युवा कल्याण विभाग, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव सूचना विभाग, उत्तरांचल शासन।
6. सचिव, सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग, उत्तरांचल शासन।
7. सचिव पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन।
8. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
9. सचिव कृषि एवं पशुपालन विभाग, उत्तरांचल शासन।
10. सचिव आबाकारी विभाग, उत्तरांचल शासन।
11. सचिव न्याय विभाग, उत्तरांचल शासन।
12. अपर सचिव, गृह विभाग, उत्तरांचल शासन।
13. अपर सचिव वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
14. अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन एवं वन विभाग, उत्तरांचल शासन।
15. अनुसचिव, सूचना विभाग, सूचना विभाग, उत्तरांचल शासन।
16. अपर निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल शासन।

बैठक में लिये गये निर्णय

बैठक में उपरोक्त विधेयक के सामन्य एवं तत्काल प्रभावी होने वाले प्राविधानों पर चर्चा की गई एवं विभिन्न प्राविधानों के संबंध में निम्न निर्णय लिये गये :–

1. विभिन्न विभागों/संस्थाओं में नियुक्त होने वाले लोक प्राधिकारी (Public Authority) द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले 17 मैनुअल को सभी विभागों द्वारा समयबद्ध आधार पर प्रकाशित किये जानें की कार्यवाही की जाये। इस संदर्भ में प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में रखे 84 मैनुअल का भी उपयोग किया जा सकता है।

2. इस विधेयक के समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु लगभग 6 अवकाश प्राप्त या अन्य विशेषज्ञों/प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यदल तत्काल गठित किया जाये जो एक्ट के प्राविधानों को मुख्य भागों में बांटकर उन पर समयबद्ध कार्यवाही करें।

3. इस विषय पर सचिव, सूचना द्वारा समस्त जिलाधिकारियों की एक ब्रीफिंग बैठक तत्काल वीडियों कान्फ्रेंसिग के माध्यम से आयोजित की जाये।

4. विभिन्न विभाग लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को विभागवार नामित करने हेतु तत्काल तैयारी प्रारम्भ करने इस हेतु विभिन्न कार्यलयों के कार्यलय अध्यक्षों, आहरण वितरण अधिकारियों या ईकाई प्रमुखों आदि के चयन हेतु अपर सचिव, वित्त विभाग द्वारा उत्तरांचल के समस्त कार्मिकों को ए, बी, सी वर्गों में बांट कर उनका विवरण उपलब्ध कराया जाये।

5. राज्य सूचना आयोग के गठन हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। प्रदेश के वित्तीय एवं अन्य संसाधनों के दृष्टिगत अभी इसका आकार प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप छोटा रखा जाये।

6. विभिन्न सूचनाओं के देने हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में अन्य राज्यों में बने नियमों एवं भारत सरकार में बनने वाले नियमों का परीक्षण कर निर्णय लिया जाये।

7. शासन स्तर पर अवस्थापना विकास शाखा, वन्य एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा एवं समाज कल्याण आयुक्त शाखा के साथ साथ वित्त, शिक्षा, गृह एवं चिकित्सा आदि विभागों को समूह बना कर लोकप्राधिकारी अथवा अन्य अधिकारियों के नामंकन की कार्यवाही की जाये।

8. इस अधिनियम के फलस्वरूप विभिन्न विभागों की समस्त योजनाओं/कार्यक्रमों के लिये सुस्पष्ट नियमावलियां एवं मानक बनाये जाने आवश्यक हो गये हैं.

अंत में बैठक धन्यवाद सम्पन के साथ समाप्त हुई।

(डी.के. कोटिया)
सचिव